

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,  
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

**कुलसचिव,**

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक .....2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माह जनवरी, 2015 के वेतनादि/पेंशनादि के भुगतान हेतु रुपये 154,50,28,132/- (एक सौ चौवन करोड़ पचास लाख अठ्ठाईस हजार एक सौ बत्तीस रू0) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2014- 31 दिनांक-16.09.2014 के द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में रुपये 1349,16,93,611/- (एक हजार तीन सौ उन्नचास करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार छः सौ ग्यारह रू0) मात्र एवं पेंशनादि मद में रुपये 492,22,09,115/- (चार सौ बानबे करोड़ बाईस लाख नौ हजार एक सौ पन्द्रह रू0) अर्थात् कुल रुपये 1841,39,02,726/- (एक हजार आठ सौ एकतालीस करोड़ उन्नचालीस लाख दो हजार सात सौ छब्बीस) मात्र की स्वीकृति तथा अग्रिम के रूप में माह मार्च, 2014 से मई, 2014 तक के वेतनादि/पेंशनादि भुगतान के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रुपये 419,55,41,541/- (चार सौ उन्नीस करोड़ पचपन लाख एकतालीस हजार पाँच सौ एकतालीस) मात्र को सामंजित किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ माह अगस्त, 2013 से फरवरी, 2014 की अवधि के लिए वर्धित महँगाई भत्ता जनवरी, 2014 से वर्धित महँगाई भत्ता (100 %) सहित रुपये 46,93,35,688/- (छियालीस करोड़ तिरानवे लाख पैंतीस हजार छः अठ्ठासी) मात्र तथा सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के माह अगस्त, 2013 से फरवरी, 2014 तक की अवधि के लिए बकाये महँगाई राहत जनवरी, 2014 से महँगाई राहत (100 %) की अन्तर राशि सहित रुपये 16,78,02,581/- (सोलह करोड़ अठ्ठत्तर लाख दो हजार पाँच सौ एकासी) मात्र अर्थात् कुल रुपये

1905,10,40,995/- (एक हजार नौ सौ पाँच करोड़ दस लाख चालीस हजार नौ सौ पंचानवे) मात्र अनुदान तथा विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में कम्प्यूटर टंकन, हाउस किपिंग, सुरक्षा एवं सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेने हेतु आउटसोर्सिंग मद के लिए रुपये 73,53,60,000/- (तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख साठ हजार ) मात्र अर्थात् कुल रुपये 1978,64,00,995/- (एक हजार नौ सौ अठ्ठत्तर करोड़ चौसठ लाख नौ सौ पनचानवे) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में राज्यादेश संख्या-15/जी1-01/2014-31, दिनांक-16.09.2014 की कंडिका-4 में अंकित शर्तों एवं बंधेजों के अधीन विश्वविद्यालयवार माह जनवरी, 2015 के लिए निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है:-

| क्र० | विश्वविद्यालयों के नाम                     | वेतनादि       | वेतनादि के अलावा | कुल राशि      |
|------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1.   | पटना विश्वविद्यालय, पटना।                  | 7,08,73,681   | 3,70,38,641      | 10,79,12,322  |
| 2.   | मगध विश्वविद्यालय, बोध गया                 | 31,06,55,555  | 8,13,58,985      | 39,20,14,540  |
| 3.   | बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर   | 15,10,92,675  | 6,84,04,008      | 21,94,96,683  |
| 4.   | जे०पी० विश्वविद्यालय, छपरा                 | 6,54,36,903   | 2,29,91,822      | 8,84,28,725   |
| 5.   | वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा          | 8,45,53,901   | 2,49,19,734      | 10,94,73,635  |
| 6.   | बी०एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा          | 11,24,67,217  | 2,43,11,782      | 13,67,78,999  |
| 7.   | तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर         | 13,63,59,571  | 8,04,94,212      | 21,68,53,783  |
| 8.   | एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा       | 16,24,97,290  | 6,29,15,076      | 22,54,12,366  |
| 9.   | के०एस०डी०एस० विश्वविद्यालय, दरभंगा         | 4,01,87,658   | 77,49,832        | 4,79,37,490   |
| 10.  | मौ०म०ह० अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना | 7,19,589      | 0                | 7,19,589      |
| कुल  |                                            | 113,48,44,040 | 41,01,84,092     | 154,50,28,132 |

(एक सौ चौवन करोड़ पचास लाख अठ्ठाइस हजार एक सौ बत्तीस मात्र)

2. विमुक्त की गयी राशि में महंत महादेवानन्द महिला महाविद्यालय, आरा में दो शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि हेतु राशि भूल वश विमुक्त नहीं की जा सकी। इन शिक्षकेतर कर्मियों के लिए माह जनवरी, 2015 से नियमित वेतन भुगतान हेतु विवरणी में सुधार कर दिया गया है एवं इनके बकाये वेतनादि भुगतान हेतु राशि रुपये 68,006/- मात्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि में सम्मिलित है।

3. विमुक्त की गयी राशि से वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान मात्र वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही किया जाये जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं अथवा सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

चतुर्थ चरण में नवअंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि की गणना की गई है, जो जस्टिस एस०सी० अग्रवाल समिति के प्रतिवेदन एवं सिविल

अपील संख्या 6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशसित पद के विरुद्ध नियुक्त हों।

4. विमुक्त की गयी राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवा निवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

5. विमुक्त की जा रही राशि से शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अन्य मदों में की गई कटौतियों को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किये जाने की कार्रवाई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अगले माह की देय राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अगर वर्णित सत्यापित विवरणी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है तो उक्त स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की विमुक्ति सत्यापित विवरणी प्राप्त होने तक स्थगित की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

6. विमुक्त की जा रही राशि को महाविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर नियोक्ता के रूप में सुनिश्चित हो लिया जाये कि महाविद्यालय को विधिमान्य अनुमान्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किसी अन्य कारणों से अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण के कारण नहीं किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान में किसी भी कर्मियों को उच्चस्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

7. विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2014-31, दिनांक 16.09.2014 के द्वारा स्वीकृत राशि जो विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0खाता में जमा है, की निकासी शीर्ष "8448-स्थानीय निधियों की जमा (व्यय)-110-शिक्षा निधियों-0001-शिक्षा निधियों- विपत्र कोड-एल 84480011-00001" से होगी। राशि की निकासी हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2014-31 दिनांक 16.09.2014 द्वारा अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को प्राधिकृत किया गया है जो राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालय को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

8. अवर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक-15/पी 1-03/2011- 55 दिनांक- 14.01.2015 एवं पत्रांक 15/एम 1-160/2012- 54 दिनांक 14.01.2015 एवं पत्रांक 03 दिनांक 02.01.2015 के आलोक में डॉ0 अरविन्द कुमार शर्मा, संपर्क पदाधिकारी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के माह जरवनरी, 2015 के वेतनादि एवं यात्रा विपत्र भुगतान हेतु कुल रुपये 1,63,271/- (एक लाख तिरसठ हजार दो सौ एकहत्तर) मात्र को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के लिए वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि रुपये 13,63,59,571/- (तेरह करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार पाँच एकहत्तर रू0) मात्र से कटौती कर



शेष राशि 13,61,96,300/- (तेरह करोड़ एकसठ लाख छियानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र विमुक्त की जा रही है।

9. विभागीय पत्र संख्या- 21/नि०(उ०शि०), दिनांक 18.02.2006 के आलोक में उपरोक्त विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक में संधारित उनके खाता में स्थानान्तरित की जायेगी।

10. विमुक्त की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र बी०टी०सी० फार्म 42 ए० में अंकित लेखा के साथ (चाटर्ड एकाउंटेंट से अंकक्षण प्रतिवेदन) विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् ही अगले माहों के लिए वेतनादि/पेंशनादि हेतु राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना होगा कि विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।

11. भारतीय अंकक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकक्षण करें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एस० एम० करीम)

निदेशक (उ०शि०)

ज्ञापांक 15/जी 1-02/2014-92/

पटना, दिनांक 20/01/2015

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सभी उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा सभी सहायक एवं लेखापाल तथा आई०टी० मैनेजर, शिक्षा (उ०शि०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(एस० एम० करीम) 20/01/15  
निदेशक (उ०शि०)

P.K  
20.01.15

**Details of Expenditure for M.M.H.A.F University, Patna for the Month of January, 2015**

| Sl. No. | Name of the College/ Deptt.              | Total Teaching Posts (Sanctioned) | Total Teaching Posts (Working) | Total Working Teaching Posts (Sanctioned) | Sanctioned Post                            |                             |                                            | Working Post                |                                            |                             | Working as                                 |                             |                             | Amount                                                    | Total Admissible Amount of One Months for Teaching & Non-Teaching |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                   |                                |                                           | NT (Excluding Lab Personnel (Illrd Grade)) | Lab Personnel (Illrd Grade) | NT (Excluding Lab Personnel (Illrd Grade)) | Lab Personnel (Illrd Grade) | NT (Excluding Lab Personnel (Illrd Grade)) | Lab Personnel (Illrd Grade) | NT (Excluding Lab Personnel (Illrd Grade)) | Lab Personnel (Illrd Grade) | Lab Personnel (Illrd Grade) |                                                           |                                                                   |
| 1       | University Head Quarter & allied Units   |                                   |                                |                                           | 55                                         | 0                           | 7                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 7                                          | 0                           | 0                           | 719589                                                    | 719589                                                            |
| 2       | University Head Quarter (Teaching Staff) | 56                                | 0                              | 0                                         | 0                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                           | 0                                                         | 0                                                                 |
| 3       | Grand Total                              | 56                                | 0                              | 0                                         | 55                                         | 0                           | 7                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 7                                          | 0                           | 0                           | 719589                                                    | 719589                                                            |
|         |                                          |                                   |                                |                                           |                                            |                             |                                            |                             |                                            |                             |                                            |                             |                             | Seven lac nineteen thousand five hundred eighty nine only |                                                                   |

*P.K.*  
निदेशक (वित्त) 21/01/15

*P.K.*  
20.01.15